अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

कोरोना वायरस/महत्वपूर्ण
अर्द्धशा0प0सं0–757/पॉच–5–2020
उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
लखनऊ : दिनांक : 01 अप्रैल, 2020

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश में कोविड–19 रोगियों की संख्या 100 के पार हो गई है। दिनॉक 31 मार्च, 2020 को प्रातः 7 बजे तक प्रदेश में कुल 101 रोगी चिन्हित किए गए थे। भारत में कोविड–19 के रोगियों की संख्या को सैकड़े (17 मार्च) से हजार (29 मार्च) तक पहुॅचने में 12 दिन लगे हैं। यद्यपि, वृद्धि की यह दर विश्व के कई विकसित देशों की अपेक्षा कम है, किन्तु यह वृद्धि अधिक है। उत्तर प्रदेश, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तथा यहॉ भी रोग–वृद्धि की प्रवृत्ति लगभग देश के समान ही है।

अतः आप सहमत होंगे कि आने वाले 14 दिन इस रोग के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश में इस वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने एवं देश में प्रसार की औसत–दर से भी कम प्रसार–दर सुनिश्चित करने के लिए त्वरित एवं प्रभावी ढंग से कार्य अपेक्षित है।

अबतक प्रदेश के 16 जनपद कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक रोगी दो जनपदों–गौतम बुद्ध नगर एवं मेरठ से हाल ही में चिन्हित किए गए क्लस्टर से रिपोर्ट हुए हैं। इससे पूर्व, आगरा जनपद का क्लस्टर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का पहला क्लस्टर चिन्हित किया गया था जिसको जनपद की टीम ने अत्यन्त प्रभावी एवं उत्कृष्ट रोकथाम के उपायों से नियंत्रित किया है। अभीतक प्रदेश के अधिकांश कोविड–19 के रोगियों का सम्पर्क विदेशी यात्रियों से पाया गया है।

उक्त के प्रकाश में यह उपयुक्त होगा कि प्रदेश में कोविड–19 संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम प्राथमिकता पर उठाए जाएं–

1. प्रदेश के कई जनपदों के द्वारा विदेश यात्रा से लौटे व्यक्तियों को स्वयं नोटीफीकेशन करने के निर्देश दिये जाएं। सभी जनपदों में विदेश यात्रा से लौटे व्यक्तियों को जनपदों में स्थापित नियंत्रण–कक्ष में स्वयं नोटीफाई करने हेतु निर्देशित किया जाएं। 1 मार्च 2020 के पश्चात स्वदेश लौटे व्यक्तियों के लिए होम क्वरेटीन का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए तथा इनकी सतत् निगरानी की जाए। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 के द्वारा होम क्वारेन्टीन में रखे गए व्यक्तियों के लिए एक एप (लिंक https://dgmhup-covid19.in/COVID19.apk) विकसित किया गया है। स्वयं नोटीफाई करने हेतु किसी भी जानकारी के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नम्बर–18001805145 पर सम्पर्क किया जा सकता है। होम क्वारेन्टीन में रखे गए सभी व्यक्ति इस एप के माध्यम से रिपोर्ट जमा करेंगे जबकि स्मार्ट फोन का प्रयोग न करने वाले व्यक्ति उपरोक्त टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क करेंगे।
2. जिन जनपदों में कोविड–19 के रोगी अथवा रोगियों के क्लस्टर्स पाए गए हैं, वहॉ पर विस्तृत एवं त्वरित नियंत्रण गतिविधियॉ संचालित की जाएं तथा रोगियों के सभी सम्पर्कों तक पहुॅच कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही, क्रास रिफरेन्स के लिए अन्य जनपदों/राज्यों को भी रोगियों के सम्पर्कों से अवगत कराया जाए।
3. ग्राम–प्रधानों, सभासदों, समुदायों एवं गैर–सरकारी संगठनों, अग्रिमपंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों पर विशेष दृष्टि रखी जाए। अन्य राज्यों से घर वापस आने वाले ऐसे

व्यक्तियों की एक सूची तैयार कराना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।

4. जनपदों में स्थापित आश्रय–गृहों के अन्तःवासियों की स्क्रीनिंग किया जाए तथा 14 दिनों के बाद ही उन्हें घर भेजा जाए। यद्यपि, यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है लेकिन समुदाय में रोग के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया जाना अनिवार्य है।
5. जनपदों में हाथ धोने एवं सोशल डिस्टेन्सिंग की अधिक से अधिक जागरूकता उत्पन्न किया जाए। सी0एस0आर0 गतिविधियों की सहायता से गरीबों में साबुन के वितरण पर भी विचार किया जाए।
6. मण्डलायुक्तों के समन्वय में नजदीकी प्रयोगशालाओं से सम्पर्क स्थापित किया जाए तथा विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती Severe Acute Respiratory Infection-SARI के **कुछ नमूनों** को एकत्रित कर सम्बद्ध कोविड–19 प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाए।
7. अपने जनपद के आइशोलेसन बेड्स एवं क्वारेन्टीन बेड्स आदि को बढ़ाने का सतत प्रयास किया जाए। इस सम्बन्ध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 के द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स/प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाए।
8. जिन जनपदों में अभीतक कोई भी कोविड–19 का रोगी रिपोर्ट नहीं किया गया है, वहॉ पर सर्विलान्स एवं रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन जनपदों में कोविड–19 रोगी रिपोर्ट हुए हैं वहॉ पर सर्विलान्स एवं रोकथाम के साथ–साथ कन्टेनमेन्ट पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही, जनपद की रैपिड रिस्पॉस टीम को अत्यन्त तीव्रगति से कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाए।
9. दिनॉक 1 अप्रैल 2020 से सभी जनपदों में एल–1 चिकित्सा ईकाइयों को अवश्य कियाशील किया जाए भले ही इन जनपदों में कोई रोगी रिपोर्ट न किया गया हो। इन ईकाइयों में तैनात स्टाफ कोई रोगी न रिपोर्ट होने तक घर से कार्य कर सकता है किन्तु सबसे पहला रोगी रिपोर्ट होने पर एक्टिव एवं पैसिव क्वारेन्टीन सम्बन्धी प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। परीक्षण सुविधा के साथ फैसिलिटी क्वारेन्टीन को कियाशील किया जाए। चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्साकर्मियों के लिए एक्टिव एवं पैसिव क्वारेन्टीन के दौरान सभी सुविधाओं, भोजन, पेयजल आदि का विशेष प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए।
10. यदि पति एवं पत्नी दोनों स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं तब किसी एक ही व्यक्ति की ड्यूटी कोविड–19 चिकित्सालय में लगाई जाए।
11. एक्टिव क्वेरेन्टीन ईकाई चिकित्सालयों के समीप स्थापित किया जाए तथा पैसिव क्वेरेन्टीन ईकाइयों को चिकित्सालयों से दूर भी स्थापित किया जा सकता है।
12. दिनॉक 1 अप्रैल 2020 से कोविड–19 के नए रोगियों को एल–1 चिकित्सा ईकाइयों में भर्ती कर प्रोटोकॉल के अनुसार उपचारित किया जाएगा।
13. यद्यपि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा जनपदों की वास्तविक मॉग के सापेक्ष औषधियॉ एवं अन्य आवश्यक सामग्रियॉ उपलब्ध कराई जा रही है तथा तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर अनिवार्य सामग्रियों के क्रय हेतु जनपदों को भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई गई है। अतः स्थानीय स्तर पर भी संसाधनों की व्यवस्था करने का हरसंभव प्रयत्न किया जाए।
14. सैन्य सेवाओं/सी0जी0एच0एस0/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त चिकित्सकों/नर्सिंग स्टाफ/पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं भी यथावश्यक प्राप्त की जाएँ। इसकी सूची सैनिक कल्याण विभाग एवं कोषागार आदि से प्राप्त की जा सकती है।

15. समर्पित कोविड अस्पतालों के विसंक्रमण पर विशेष बल दिया जाए। सार्वजनिक स्थलों का भी विसंक्रमण करवाया जाए।

वैश्विक महामारी कोविड–19 के विरूद्ध लॉक डाउन के शेष 14 दिनों का सार्थक उपयोग करते हुए अपने जनपद को संक्रमणरहित, स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये। आशा है कि आपके नेतृत्व में इस संक्रमण पर पूर्ण नियंत्रण पाया जा सकेगा।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

1.4.20

(अमित मोहन प्रसाद)

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।